# (Public Hearing Minutes of Meeting )

## पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 12.06.2026 का कार्यवृत

**मैसर्स शिवचरण जाट पुत्र श्री बद्रीलाल जाट** द्वारा प्रस्तावित क्लस्टरमय रिवर सैंड (बजरी) (अप्रधान खनिज) खनन परियोजना, एम.एल. संख्या / प्लॉट संख्या-03, परियोजना क्षेत्रफल 36.05 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता – 1023907.5 टीपीए (आरओएम) निकट ग्राम-टोरडा, तहसील- चौथ का बरवाड़ा, जिला- सवाई माधोपुर, (राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक पर्यावरणीयजन सुनवाई **दिनांक 12.06.2026 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम पंचायत – भगवतगढ़ के 'भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र", ग्राम टोरडा, ग्राम पंचायत भगवतगढ़, तहसील- चौथ का बरवाड़ा, जिला - सवाई माधोपुर** में श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर (जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रतिनिधी) एवं श्री बलजीत मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर की उपस्थिति में आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान 33 लोग उपस्थित रहे। (उपस्थिति पत्र **"परिशिष्ट अ"** पर संलग्न है)।

जनसुनवाई हेतु आम सूचना इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 30.04.2026 एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 30.04.2026 को प्रकाशित की गई थी एवं मुनादी एक दिवस पूर्व दिनांक 11.06.2026 को ग्राम पंचायत – भगवतगढ़ एवं ग्राम – टोरडा में करवाई गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, श्री बलजीत मीणा, द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर एवं उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुऐ बताया कि आज की जनसुनवाई ग्राम –टोरडा में प्रस्तावित क्लस्टरमय रिवर सैंड (बजरी) (अप्रधान खनिज) खनन परियोजना के खनन पट्टा प्लॉट न. 03 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

यह जनसुनवाई आयोजित कि जा रही है। जिसमें खनन परियोजना पर्यावरणीय सलाहकार आपको परियोजना के बारे में विस्तार से बताएगें जिसके उपरान्त इस परियोजना से सम्बन्धित आपके सुझाव एवं आपत्तियाँ ली जाऐगी, जो आप केमरें के सामने मौखिक या लिखित दे सकते हैं।

समूह खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार कॉसमॉस एनवायरो कंसल्टेंसी की प्रतिनिधि द्वारा पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारीगण, ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

इस संबंध में उन्होंने बताया की यह खनन परियोजना नदीतलरेत (बजरी) खनन के लिए प्रस्तावित है जो कि ग्राम टोरडा, तहसील- चौथ का बरवाड़ा, जिला- सवाई माधोपुर में स्थित है। उक्त खनन परियोजना में कुल 2 खनन ईकाईयाँ हैं जिसका कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 84.25 हेक्टेयर एवं कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता—19,00,670.63 टीपीए (आर.ओ.एम.) हैं।

तत्पश्चात् परियोजना सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें परियोजना की स्थिति, विवरण, लोकेशन मैप, खनन पट्टे की गूगल इमेजरी, क्लस्टर विवरण, क्लस्टर प्रमाण-पत्र, 500 मीटर परिधि नक्शा, जनसुनवाई हेतु समाचार पत्र विज्ञापन, परियोजना की मुख्य विशेषताएँ, खनन विधि, क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति, चरणवार भूमि उपयोग, हरित पट्टा विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण), पर्यावरण प्रबंधन योजना हेतु बजट, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा श्रमिक कल्याण संबंधी प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दी गई। विशेष रूप से बेसलाइन डेटा जनरेशन अध्ययन अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक (मानसून के बाद) किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा प्रश्न पूछे गए। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने पूछा कि प्रस्तावित परियोजना की लागत एवं क्लस्टर परियोजना की कुल लागत में क्या अंतर है? परियोजना सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस क्लस्टर में दो परियोजनाएँ हैं। मुख्य परियोजना प्रस्तावक श्री शिवचरण जाट पुत्र श्री बद्रीलाल जाट की परियोजना की अनुमानित लागत 9.45 करोड़ रुपये है, जबकि मेसर्स रोहित मिनरल्स सहित पूरे क्लस्टर की कुल लागत 19.45 करोड़ रुपये है।

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परामर्शदाता से पूछा गया कि कितने क्षेत्र में पौधारोपण करेगे एवं बजरी जो निकालेगें वो कितनी गहराई तक निकालेगें इस तरह से ग्राम वासियों को बताईये इसके उपरान्त परियोजना सलाहकार द्वारा बताया गया की 26.0040 हेक्टेयर में बजरी निकालगें एवं लगभग 10 हेक्टेयर में पौधारोपण के लिए दिया हुआ है लेकिन बनास नदी में पेड़े पौधे नहीं लगा पायेगें इसलिए अधिकतम पौधारोपण सड़क किनारे किया जायेगा।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परामर्शदाता से पुनः पूछा गया कि किनारे प्रस्तावित वृक्षारोपण की जीवित रहने की दर (survival rate) सुनिश्चित करने के लिए क्या योजना है? उन्होंने कहा कि या तो आप पंचायत से समन्वय करें। यदि चरागाह भूमि हो, पंचायत की खाली भूमि हो या पंचायत की कोई निजी भूमि हो तो वहाँ वृक्षारोपण करवाया जा सकता है। यदि आप इधर-उधर यूं ही पेड़ लगा देंगे तो किसी की देखभाल नहीं होगी। इसलिए या तो पंचायत से उचित चर्चा करके पेड़ लगाएँ या तारबंदी करवाएँ। परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वृक्षारोपण के लिए ग्राम पंचायत से पूर्व में ही NOC प्राप्त कर ली गई है। सरपंच श्री (नरेन्द सिंह) द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावक ने चरागाह भूमि से NOC ले लिया है। वृक्षारोपण के लिए आवश्यक पानी की व्यवस्था का ध्यान परियोजना प्रस्तावक द्वारा रखा जाएगा।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सरपंच को सुझाव दिया गया कि वृक्षारोपण को सफल बनाने एवं पौधों की जीवित रहने की दर सुनिश्चित करने के लिए समस्त ग्रामवासियों तथा सरपंच को सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। केवल तभी पेड़ लगाए जा सकेंगे और वे बच पाएंगे। अन्यथा पेड़ लगा देने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पर्यावरण सलाहकार से पूछा गया कि आप CSR गतिविधियों के अंतर्गत क्या कार्य करवाएंगे? पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि परियोजना प्रस्तावक ग्राम पंचायत से परामर्श करके आसपास की गाँव की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करवाएंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि सरपंच साहब के सुझाव के अनुसार गाँव के विकास के लिए आवश्यक कार्य किए जाएंगे। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सलाह दी गई कि स्कूलों में जहाँ आवश्यकता हो, गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, आंगनवाड़ी केंद्र अथवा अन्य जनहित के कार्यों के लिए CSR मद से कार्य करवाएँ। उन्होंने सरपंच को भी निर्देश दिया कि गाँव के विकास हेतु जहाँ भी आवश्यकता हो, वे परियोजना प्रस्तावक से कार्य करवाएँ। परियोजना

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया कि मंदिर के विकास हेतु आवश्यक कार्य सरपंच साहब से समन्वय कर CSR गतिविधियों के अंतर्गत करवाए जाएंगे।

गूगल इमेजरी देखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने पूछा कि क्या यह परियोजना नदी की तल (river bed) में स्थित है? परियोजना सलाहकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि हाँ, परियोजना नदी की तल पर है, किन्तु खनन कार्य केवल नदी की बाहरी साइड से ही किया जाएगा तथा नदी की मुख्य धारा को प्रभावित नहीं किया जाएगा। उसी दौरान क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पूछा गया कि लीज क्षेत्र के मध्य में टापू जैसा क्षेत्र है क्या? परियोजना सलाहकार द्वारा बताया गया कि हाँ, लीज के बीच टापू जैसा क्षेत्र है जिसमें एक मंदिर स्थित है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा पूछा गया कि इस धार्मिक स्थल पर प्रस्तावित परियोजना का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? परियोजना सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह बजरी खनन है जिसमें ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं होगी, अतः मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा धार्मिक स्थान के विकास हेतु निर्देशित करने पर परियोजना के पर्यायोजना सलाहकार द्वारा सहमती दर्ज करवाई।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पूछा गया कि प्रस्तावित खनन पिट की गहराई 1.75 मीटर है, जो काफी अधिक है, अतः स्थानीय लोगों एवं जीव-जंतुओं की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? परियोजना सलाहकार द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर बैरियर बनाया जाएगा ताकि किसी की अनधिकृत प्रवेश न हो सके तथा मजदूरों की सुरक्षा के लिए PPE किट प्रदान किए जाएंगे। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया गया कि खनन कार्य माइनिंग प्लान के अनुसार बैंच बनाकर किया जाए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पुछा गया कि आपने पौधारोपण के लिए कितना क्षेत्रफल लिया है? एवं उसमे कितने पौधे लगेंगे। परियोजना सलाहकार द्वारा बताया गया कि पौधारोपण के लिए 11 हेक्टेयर क्षेत्रफल लिया है जिसमें लगभग 5000 पौधे लगेंगे। क्षेत्रीय अधिकारी ने पौधो के सुरक्षा उपाय एवं रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए बताया गया कि यह प्रस्ताव सरकारी प्रक्रिया के तहत बनास नदी से बजरी निकालने का है तथा अधिकतम 7 फीट से ज्यादा गहराई कहीं भी नहीं खोदी जाएगी। यदि किसी को कोई आपत्ति या सुझाव

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

हो तो वह लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर विचार करके उचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री प्रेम राज, झोपड़ा गांव के निवासी, ने प्रस्तुतीकरण सुनने के उपरांत परियोजना को लेकर अपना सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए कहा कि यह बढ़िया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा पुनः पुष्टि किए जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके गांव में उनको बजरी खनन पर उनको कोई आपत्ति नहीं है।

नरसी मीणा (कनिष्ठ सहायक, ग्राम पचांयत, भगवतगढ़) ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जिस गांव का यह परियोजना है, उस टोरड़ा गांव का कोई भी व्यक्ति इस जन सुनवाई में उपस्थित नहीं है। इसके बाद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुछा गया कि जनसुनवाई के बारे में आप लोगो को बताया गया था या नहीं बताया गया था इसके उपरान्त सड़क क्षेत्रीय अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि टोरड़ा एवं भगवतगढ़ गांव में जन सुनवाई से एक दिन पहले मुनादी कराई गई थी तथा 30 अप्रैल 2026 को इंडियन एक्सप्रेस एवं दैनिक भास्कर समाचार पत्रों में जन सुनवाई का विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया था। उन्होंने कहा कि टोरड़ा गांव में जनसुनवाई हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध ना हो इसलिए जिला प्रशासन द्वारा इस स्थल "भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, भगवतगढ़" का चयन किया गया है तथा सूचना का प्रचार-प्रसार उचित रूप से किया गया था।

तत्पश्चात् भगवतगढ़ गांव के श्री सूरजमल शर्मा ने पूछा कि जहां पहाड़ पर मंदिर स्थित है, उसका विकास होना चाहिए, न कि आसपास से मिट्टी व बजरी खोदकर गड्ढे करके चले जाना चाहिए। परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया कि वे मंदिर के विकास का कार्य करवाएंगे। उसी ग्रामवासी ने आगे पूछा कि क्या वे पूरा क्षेत्र इधर से उधर तक खोद देंगे। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने आश्वासन देते हुए कहा कि वे निर्धारित सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए अवैध खनन होगा और सरकार द्वारा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान समय में सभी खदानों का डिमार्केशन किया जाता है, अतः उन्हें केवल आवंटित लीज क्षेत्र के अंदर ही खनन करना है; सीमा से बाहर जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

श्री रामविलास गुर्जर (जो परियोजना प्रस्तावक के साझेदार हैं) ने स्वयं ही इस संबंध में आश्वासन देते हुए कहा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा CSR के अंतर्गत स्कूल, मेडिकल, आंगनवाड़ी, मशीनरी तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं हेतु सभी कार्य करवाए जाएंगे।

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

भगवतगढ़ गांव के श्री संजय कुमार आर्य ने पूछा कि हमारे गांव में कई लोग मजदूरी व खनन कार्य करके रोजगार प्राप्त करते हैं, क्या यह परियोजना शुरू होने से उनके रोजगार पर कोई प्रतिबंध लग जाएगा? अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने स्पष्ट करते हुए कहा कि "बंध तो कुछ नहीं होता है। वर्तमान में आपके गांवों में अनेक स्थानों पर अवैध खनन चल रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि बजरी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन अवैध खदानों को कानूनी रूप से संचालित किया जाए, ताकि खनन पट्टा प्राप्त करने वाले व्यक्ति निर्धारित क्षेत्र से बाहर खुदाई न कर सकें।" उसी स्थानीय निवासी ने आगे पूछा कि लोकल लोगों के लिए बजरी के संबंध में कोई प्रावधान होना चाहिए। इस पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने उत्तर दिया कि लोकल लोगों के लिए प्रावधान रहेगा ही, हमेशा रहता है, किंतु सरकार द्वारा बजरी के लिए निर्धारित न्यूनतम दर सभी को देनी पड़ेगी।

अंत में क्षेत्रीय अधिकारी ने सुझाव देते हुए कहा की क़ानूनी तौर पर की गई खनन योजनाओ को हमें बढ़ावा देना और उनका साथ देना चाहिए ताकि इससे सरकार के पास राजस्व उत्पन्न हो और उसी आय से आपके गावों स्कुलों, सरकारी भवन एवं सड़को इत्यादि का विकास हो।

इसी के साथ क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल, सवाई माधोपुर द्वारा जन सुनवाई के दौरान उपस्थित ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से पर्यावरणीय जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
सवाई माधोपुर

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

## जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों, ग्रामवासी / जनप्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स श्री शिवचरण जाट पुत्र बद्रीलाल जाट द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन परियोजना, मैसर्स श्री शिवचरण जाट खनन पटटा प्लॉट न. 03, एरिया 36.05 हैक्टर, उत्पादन क्षमता – 1023907.5 टन (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल – 84.25 हैक्टर, निकट ग्राम– टोरड़ा, तहसील – चौथ का बरवाड़ा व जिला – सवाई माधोपुर, (राजस्थान) में स्थित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 12.06.2026 को आयोजित जनसुनवाई की बैठक।

जनसुनवाई स्थल :– **ग्राम – टोरडा, ग्राम पंचायत – भगवतगढ तहसील – चौथ का बरवाड़ा, जिला – सवाई माधोपुर. के "भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र"।**

दिनांक : 12.06.2026.

समय : प्रातः 11.00 बजे।

### उपस्थिति पत्र

| क्र.स. | नाम | पद नाम / कार्यालय / ग्राम | मोबाईल नम्बर | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | संजय शर्मा | ADM | 9982323246 | [illegible] |
| 2. | नीरज [illegible] | TDR, CWB | 7042836979 | [illegible] |
| 3. | Baljeet Meena | RO, RSPCB, Swm | 9461239662 | [illegible] |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | राजकुमार [illegible] | JEE, RSPCB | 8209010515 | [illegible] |
| 7. | [illegible] | प्रशासक भगवतगढ़ | 9784635543 | [illegible] |

Scanned with OKEN Scanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | शिवचरण | शिवाड़ | 7976146199 | Shiv |
| 9. | देवराज | टोरडा | 8739927612 | [illegible] |
| 10. | RANBEER | टोरडा | | RANBEER |
| 11. | रामराज | टोरडा | | रामराज |
| 12. | रामावतार | शिवाड | 6376035813 | सांवर |
| 13. | नारायणलाल | क. सहा.. | 99284464545 | [illegible] |
| 14. | आई.एस.मीना | V.DO | 88[illegible]05094 | [illegible] |
| 15. | सियाराम | किलोरी | 9982740694 | सियाराम |
| 16. | जगरूप | टोरडा | | जगरूप |
| 17. | कुलराज | टोरडा | 887519322 | कुलराज |
| 18. | विक्रम | टोरडा | 7878930803 | विक्रम |
| 19. | संजय शर्मा गिरी | नागरवाल | 9950103923 | संजय शर्मा गिरी |
| 20. | दिलखुश | टोरडा | | दिलखुश |
| 21. | प्रेमराज | टोरडा | | प्रेमराज |
| 22. | देवकिशन | टोरडा | | देवकिशन |
| 23. | रामेश्वर | टोरडा | | रामेश्वर |
| 24. | कान्तिराम | [illegible] | 9352319127 | कान्तिराम |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25. | रतनलाल सैनी | भगवतगढ़ | 8854863328 | रतन |
| 26. | ओमप्रकाश शर्मा | भगवतगढ़ | 7891764180 | ओमप्रकाश |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| 34. | | | | |
| 35. | | | | |
| 36. | | | | |
| 37. | | | | |
| 38. | | | | |
| 39. | | | | |
| 40. | | | | |
| 41. | | | | |

Scanned with OKEN Scanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42. | शिवचरण जाट | महापुरा | 7976882008 | [illegible] |
| 43. | रामविलास गुर्जर | बिनवाड़ी | 8003011690 | रामविलास |
| 44. | सूरज मल शर्मा | भगवतगढ़ | 7424840809 | [illegible] |
| 45. | Shashank K Jain | Sawaimadhopur | 9414030328 | [illegible] |
| 46. | किशनचन्द महावर | [illegible] | 9413505952 | [illegible] |
| 47. | S Kumar | Jaipur | 7727862633 | S Kumar |
| 48. | Jatilesh Yadav | CEC Jaipur | 7742765076 | Yadav |
| 49. | Enashree Bhaumick | CEC Jaipur | 9429039859 | [illegible] |
| 50. | Dr Preeti Sharma | CEC Jaipur | 8619560934 | Preeti |

Scanned with OKEN Scanner

सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने से हादसे की आशंका है।

डूबने से
बाद भी
हीं लिया।
जाम किए
वालों को
व्यवस्था

की गई। न चेतावनी की कोई व्यवस्था की गई।

स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द जरूरी सुरक्षा उपाय नहीं हुए तो आगे और बड़े हादसे हो सकते हैं।

## र्ग की ट्रायल गंगापुर में 3 को

में भाग लेने
ड़ियों को अपने
साथ लाना
गा। इसमें
प्रमाण पत्र,
माता-पिता का
छले तीन वर्षों
तथा राजस्थान
न (आरसीए)
र शामिल है।
डॉ. दीपक राज
ट्रायल के मुख्य

चयनकर्ता के रूप में पूर्व रणजी खिलाड़ी अमरसिंह नेगी मौजूद रहेंगे। उनके साथ नरेंद्र शर्मा गोगा और अरुण चौधरी भी चयन प्रक्रिया में शामिल रहेंगे।

उन्होंने बताया कि ग्राउंड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ज्वाइंट सेक्रेटरी सूर्य प्रकाश शर्मा, रवि गुर्जर, आरसीए स्कोरर लोकेश मीणा और मोहम्मद अनीश को सौंपी गई है। पात्र खिलाड़ियों से समय पर पहुंचने को कहा है।

## में गंगापुर सिटी
## रजत पदक

ों का सम्मान किया गया।

शहरवासियों ने हर्षोल्लास से अभिनंदन किया। खेल जगत में खुशी का माहौल रहा। प्रशिक्षकों ने कहा कि यह उपलब्धि अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी।

दिन हजारों मुसाफिर आते-जाते हैं। उन्हें शुद्ध, शीतल जल देना परिषद की प्राथमिकता है।

यात्रियों के डिब्बों तक पहुंचकर रामप्रताप, हरि प्रसाद शर्मा, अंजू गोयल, चित्रा गर्ग, सुनीता सिंघल, मीना उपाध्याय, सोनी, दीपिका का सहयोग रहा।

# गर्मी में पक्षियों के लिए परिंडे बांधे, शुद्ध जल भरने की शपथ

बौंली. उपखंड मुख्यालय पर मंगलवार को भारत विकास परिषद के तत्वावधान में पक्षियों के लिए परिंडे बांधने का कार्यक्रम हुआ। इसमें तहसीलदार दिनेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलकमल मीणा, प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी बनवारी लाल गोयल, शाखा अध्यक्ष दिनेश सिंघल आदि मौजूद रहे।

एसडीएम कार्यालय परिसर में परिंडे बांधे गए। परिंडों में शुद्ध जल भरा गया। नियमित रूप से जल भरने की शपथ ली गई। वक्ताओं ने कहा कि गर्मी में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना मानवता का महत्वपूर्ण दायित्व है।

परिषद के शाखा गतिविधि संयोजक सेवा गिरीश गौतम ने बताया कि परिषद 'निशुल्क परिंडा अभियान' चला रही है। इसके तहत जरूरतमंद व्यक्ति परिषद के सदस्यों से परिंडा ले सकता है। कार्यक्रम में आमजन से अधिक से अधिक परिंडे लगाने की अपील की। पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनने का संदेश दिया गया।

## नृसिंह चतुर्दशी महोत्सव आज

सवाईमाधोपुर। श्री नृसिंह चतुर्दशी महोत्सव-2026 गुरुवार को श्री चतुर्भुज जी नाथ मंदिर सब्जी मंडी शहर में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर नृसिंह भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा।


**आम सूचना**

मेरी मुवकिल ललिता पत्नी अमर सिंह राठौड़ निवासी पटेल नगर तहसील व जिला सवाई माधोपुर आमजन को सूचित किया जाता है कि मेरा छोटा पुत्र सौरभ कुसंगति में पड़ गया है। सौरभ मेरी पक्षकारा व उसके परिजनों के कहने में नहीं है। गलत संगत व मिथ्या कार्य, गलत व्यवहार एवं आचरण में लिप्त हो रहा है। अतः सौरभ द्वारा किए जा रहे हैं किसी भी कार्य व्यवहार अथवा आचरण के लिए मेरी पक्षकारा व उनके परिवारजन जिम्मेदार नहीं है। अतः सूचित रहे।

दिनांक : 28.04.2026

भवदीय - संदीप शर्मा एडवोकेट

कोर्ट परिसर सवाई माधोपुर मो. 9461299653



क्षेत्रीय कार्यालय

**राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल**

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे, सवाई माधोपुर (राज.) 322001

फोन नं: 07462-294921 ई-मेल- rorpcb.swm@gmail.com

दिनांक: 28.04.2026

क्रमांक: रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा./सं.मा.-886/239-242

**पर्यावरण स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री शिवचरण जाट पुत्र श्री बद्रीलाल जाट (Minor Mineral) कलस्टर खनन परियोजना, प्लॉट न. 03, एरिया 36.05 हैक्टर, उत्पादन क्षमता 102390.5 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल 84.25 हैक्टर, निकट ग्राम टोरड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा व जिला सवाई माधोपुर के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध है:- (1) कार्यालय जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर। (2) कार्यालय जिला परिषद, सवाई माधोपुर। (3) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर। (4) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। (5) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। (6) जिला उद्योग केन्द्र, सवाई माधोपुर। (7) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर। चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन-सुनवाई दिनांक 12.06.2026 को ग्राम टोरड़ा, ग्राम पंचायत भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा के ''भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र'' तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर में समय सुबह 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव /आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध मे लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से- (बलजीत मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी


Scanned with OKEN Scanner

## APITAL HOUSING FINANCE LTD

1th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam
arel, Mumbai-400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552

### NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

ed being the Authorized Officer of the TATA Capital Housing
he Securitization and Reconstruction of Financial Assets and
Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under
le 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a
oned below calling upon the Borrowers to repay the amount
in 60 days from the date of the said notice.
l to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, in
n general, that the undersigned has taken possession of the
below in exercise of powers conferred on him under section
h rule 8 of the said Rules.
and the public in general, are hereby cautioned not to deal with
gs with the property will be subject to the charge of the TATA
imited, for an amount referred to below along with interest
harges, costs etc. from date mentioned below.
vited to provisions of sub- section (8) of Section 13 of the Act,
redeem the secured assets.

| me of Obligor(s)/ Legal )/Legal Representative(s) | Amount as per Demand Notice | Date of Possession |
|---|---|---|
| anwar Mal Jat S/o Mr. Jat & Mrs. Kamla Jat Sanwar Mal Jat, | Rs. 27,24,693/- As on 02/02/2026 | 26-04-26 |

ssets/Immovable Properties: All piece & parcels of ering Patta No. 15, Book No. 2187, Situated At Village Panchayat Rupaheli Khurd, Tehsil Banera Dist. Bhilwara Sq. Fit with all common amenities as mentioned in Patta oundaries: East – Rasta, West – Khet (Swayam), North –

Sd/- Authorised Officer,
For Tata Capital Housing Finance Limited

## CTRICITY REGULATORY COMMISSION

h Floor, Tower-B, World Trade Centre,
roji Nagar, New Delhi-110029

Dated: 27.4.2026

### AUSE (a) OF SUB-SECTION (5) OF ELECTRICITY ACT, 2003 (the Act)

rant of a Category-V licence for inter-State over India has been made before the nologies Private Limited, F-7, Grafikon ndwa, Pune – 411048, Maharashtra, India.
ation, along with its annexures and pplicant for the grant of an inter-State chnologies Private Limited before the sed at the website www.neufin.co or he Commission's office by following the

e material available on record, the rima facie the applicant qualifies for the e trading in electricity and by order dated has proposed to grant a Category-V er-State trading in electricity in all over

pursuance of clause (a) of sub-section vite suggestions or objections, if any, to e for inter-State trading in electricity as be received by the undersigned latest noted address. The objections or pecified date shall not be considered.
d the application for final disposal on files the suggestions or objections may ng, for which no TA/DA shall be paid by

Sd/-
(Harpreet Singh Pruthi)
Secretary

## क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर (ग्रामीण)
## राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

क्रमांक : राप्रनिम/क्षे.का/जोधपुर ग्रामीण/पीएचआरयू-60/290

दिनांक : 27.04.2026

### पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री आदु राम पुत्र श्री मेघा राम, के बलुआ पत्थर खनन परियोजना, प्लॉट न/QL No/Ref-No 20231000087026, खसरा नं. 215/01, लीज क्षेत्रफल 1.00 हैक्टयर, कलस्टर क्षेत्रफल 31.81 हैक्टयर, उत्पादन क्षमता 1,00,000 टीपीए कलस्टर उत्पादन क्षमता 20,85,020.5 टीपीए, निकट ग्राम सिहांदा, तहसील-शेरगढ़, जिला-जोधपुर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वीकृति बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 2. चूंकि मैसर्स श्री आदु राम पुत्र श्री मेघा राम, द्वारा उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक जन सुनवाई हेतु आवेदन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर (ग्रामीण) के समक्ष प्रस्तुत किया है। 3. चूंकि उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। 4. उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:- (1) कार्यालय जिला कलेक्टर, जोधपुर। (2) कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर। (3) कार्यालय खनिज अभियंता, जोधपुर। (4) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। (5) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल 4 पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र झालना डूंगरी जयपुर। (6) क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ए-218 बी-216, अरण्य भवन, महात्मा गांधी रोड, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया जयपुर, राजस्थान। (7) कार्यालय ग्राम-पंचायत सिहांदा, तहसील-शेरगढ़, जिला-जोधपुर। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आप परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन सुनवाई हेतु दिनांक 02.06.2026 को कार्यालय ग्राम पंचायत सिहांदा, तहसील-शेरगढ़, जिला-जोधपुर में समय अपराह्न 02.00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर (ग्रामीण) में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीय
(जगदीश चौधरी)
क्षेत्रीय अधिकारी जोधपुर (ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय

## राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे, सवाई माधोपुर (राज.) 322001
फोन नं: 07462-294921 ई-मेल- rorpcb.swm@gmail.com

क्रमांक: रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा./सं.मा.-886/239-242

दिनांक: 28.04.2026

### पर्यावरण स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री शिवचरण जाट पुत्र श्री बद्रीलाल जाट (Minor Mineral) कलस्टर खनन परियोजना, प्लॉट न. 03, एरिया 36.05 हैक्टर, उत्पादन क्षमता 102390.5 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल 84.25 हैक्टर, निकट ग्राम टोरड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा व जिला सवाई माधोपुर के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त परियोजना से संबधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध है:- (1) कार्यालय जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर। (2) कार्यालय जिला परिषद, सवाई माधोपुर। (3) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर। (4) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। (5) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। (6) जिला उद्योग केन्द्र, सवाई माधोपुर। (7) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर। चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन-सुनवाई दिनांक 12.06.2026 को ग्राम टोरड़ा, ग्राम पंचायत भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा के ''भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र'' तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर में समय सुबह 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव /आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध मे लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से- (बलजीत मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

## AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

### INFORMATION NOTICE

The below mentioned Borrowers & Co-Borrowers are Informed to remove their movable assets from the mortgaged property (mentioned in the below table) which is going to be sold by **AU Small Finance Bank Ltd. (A Scheduled Commercial Bank)** through auction proceeding under **SARFAESI Act. 2002**, otherwise the movable assets would be transferred to any rented location at their own cost and they will also be liable for any damage caused during the shifting, if it is not removed within 15 days. For other queries contact the concerning person as mentioned below.

| Loan A/c No. & Name of the Borrower/ Co-Borrower/ Mortgagor/Guarantor | Detail of Mortgaged Property | Contact Person |
|---|---|---|
| (A/c No.) L9001060713888361 & L9001060817102145 Gyan Singh Rawat S/O Mangal Singh Rawat (Borrower), Meena .W/O/D/O/S/O Gyan Singh (Co-Borrower) | Property Situated Patta .no. 9, book.no. 1251, sankalp.no. 4, khasra.no.1265, misal.no. 9/15-16, gram- chainpura, panchyat samati asind dist- bhilwara rajasthan | VIJENDRA PAL SINGH 9773358395 |
| (A/c No.) L9001061124284823 & L9001060713893381 Mahesh Sharma S/O Satya Narayan Sharma (Borrower), Smt.Pushpa Devi Sharma (Co-Borrower), Satya Narayan Sharma S/O Ram Chandra (Co-Borrower), Tikam Sharma S/O | (1) Property Sitauted At East Part Of Plot No. 129, Purnawas Colony, Ambapura, Dolta, Te.- Deoli, Dist.- Tonk, Rajasthan, (2) Property Sitauted At Plot No. 131 (North Part) Purnawas Colony, Ambapura, Dolta, Te.- Deoli, Dist.- Tonk, | RAJKUMAR BAJIA 9116621297 |

Scanned with OKEN Scanner